SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)

5.1 A proposal has been received by this office from......PWD Purola......for diversion under FCA-1980) of 0.224 ha. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of 42 m span steel girder bridge at Paula. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated...15.3.2015

5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests measuring....0.224...ha.

5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.

5.4 Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :- Local fauna only. No impact.

5.5 xx Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.-

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.
Recommended for connectivity & Patrolling

(नोटः– प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यहाँ पर प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति / टिप्पणी आवश्यक रूप से अंकित की जाय)

(Signature)

Place:-......Purola......

Date......15.03.2015

Name... Dy. Director Govind Wildlife Sanctuary
Designation... Purola (Uttarkashi) / ANP
Office Seal ....

N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

xx out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC darted 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservator of forests is required.

श्री टी0आर0बीजूलाल, उप निदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क पुरोला की दिनांक 15.03.2015 का निरीक्षण टिप्पणीः—

आज दिनांक 15.03.2015 को वन क्षेत्राधिकारी रूपिन, वन वीट अधिकारी, श्री जसपाल आर्य, के साथ लोक निर्माण विभाग पुरोला द्वारा प्रस्तावित 42 मी0 लम्बा स्पान स्टील गार्डर पुल निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव का स्थलीय निरीक्षण किया। यह प्रस्तावित स्टील गार्डर पुल धौला नामक स्थान पर रूपिन नदी के ऊपर प्रस्तावित हैं। नदी का बांया किनारा दोणी कक्ष सं0— 01 तथा दांया किनारा हडवाड़ी कक्ष संख्या 03 के अन्तर्गत आता है। उक्त दोनों आरक्षित वनकक्ष गोविन्द वन्य जीव विहार के संरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। प्रस्तावित पुल का निर्माण स्थल वर्तमान में निर्मित झूला पुल के बगल में स्थित है जो वृक्ष विहीन चट्टानी क्षेत्र है तथा कुल क्षेत्रफल 0.224 है0 है।

यह प्रस्तावित स्टील गार्डर पुल नैटवाड़—भग्यानी—धौला—मुसई पानी वन जीप मार्ग को वन विभाग के निर्माणाधीन धौला वरी वनजीप मार्ग से जोड़ने का काम करेगा। इस पुल के निर्माण से जहॉ बरी, हडवाडी, सेवा गॉव के ग्रामीणों के साथ—साथ हिमांचल प्रदेश के डोडरा तथा क्वार गॉव के ग्रामीणों को वाहन यातायात की सुविधा प्राप्त होगी वहीं स्थानीय वन कर्मियों को वन्यजीव सुरक्षा एवं प्रबन्धन हेतु क्षेत्र भ्रमण करने में वाहन सुविधा प्राप्त हो सकेगा।

क्योंकि प्रस्तावित निर्माण स्थल रूपिन नदी के दोनों ओर चट्टानी भूमि पर स्थित है तथा निर्माण स्थल पर कोई संकटापन्न वनस्पति प्रजाति विद्यमान नहीं है और न ही किसी संकटापन्न वन्यप्राणी का वास स्थल पाया गया । अतः इस प्रस्तावित स्टील गार्डर पुल के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण करने में वन्यजीव संरक्षण एवं सुरक्षा कार्य की दृष्टि से कोई आपत्ति नही है।

भवदीय

(टी0आर0बीजूलाल)
उपनिदेशक,
गोविन्द वन्यजीव विहार/
राष्ट्रीय पार्क पुरोला, उत्तरकाशी

पत्रांक 1936 /20—2 समदिनॉकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वन्यजीव प्रतिपालक, गोविन्द वन्यजीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला।
5. वन क्षेत्राधिकारी रूपिन रेंज नैटवाड़।

(टी0आर0बीजूलाल)
उपनिदेशक,
गोविन्द वन्यजीव विहार/
राष्ट्रीय पार्क पुरोला, उत्तरकाशी